[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 14/2021 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 मई, 2021

सा॰ का॰नि॰..... (अ)-केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के कई हिस्सों में महामारी कोवीड-19 के चलते यह अधिसूचित करती है कि -

(i) जहां, किसी भी प्राधिकरण द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए किसी भी समय सीमा को, जो अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से मई, 2021 के 30 वें दिन तक की अवधि के दौरान आता है, उक्त अधिनियम के तहत निर्दिष्ट या निर्धारित या अधिसूचित किया गया है, और जहां ऐसी कार्रवाई को पूरी करना या उसका अनुपालन ऐसे समय के भीतर नहीं की गई है, तो, निम्न उद्देश्यों सहित के लिए, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की या अनुपालन के लिए समय सीमा मई, 2021 के 31वें दिन तक बढ़ा दी जाएगी -

(क) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानो के अधीन किसी भी प्राधिकरण, आयोग या न्यायाधिकरण द्वारा, किसी कार्रवाई को पूरी करना, किसी भी आदेश पारित करने, किसी नोटिस को जारी करना, सूचना, अधिसूचना, संस्वीकृति या अनुमोदन या इस तरह की अन्य कार्रवाई, जो भी नाम से हो; या

(ख) उपर्युक्त अधिनियमों के प्रावधानों के तहत, कोई अपील दाखिल करना, कोई भी रिपोर्ट, दस्तावेज, विवरणनी, ब्यान, या ऐसे अन्य रिकॉर्ड को प्रस्तुत करना, जो भी नाम से पुकारा जाता है;

लेकिन, समय का ऐसा विस्तार उक्त अधिनियम के निम्न प्रावधानों के अनुपालन के लिए लागू नहीं होगा, जैसा कि नीचे वर्णित है -

(क) अध्याय IV;
(ख) धारा 10 की उपधारा (3), धारा 25, 27, 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129;
(ग) धारा 39, परंतु, उपधारा (3), (4) और (5) को छोड़कर;
(घ) धारा 68, जहां तक ई-वे बिल का संबंध है; तथा
(ड) ऊपर वर्णित अध्याय और धारा के तहत बनाए गए नियम;

परंतु जहां, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 9 के तहत निर्दिष्ट, या निर्धारित या अधिसूचित किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्रवाई को पूरा करने की कोई समय सीमा, जो मई, 2021 के पहले दिन से मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, और जहां ऐसी कार्रवाई ऐसे समय के भीतर पूरी नहीं की गई है, तो, ऐसी कार्रवाई के पूरा करने की समय सीमा, जून, 2021 के पंद्रहवां दिन तक विस्तार किया जाता हैं|

(ii) ऐसे मामलों में जहां रिफंड के दावे को, पूर्ण या भाग में, अस्वीकार करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, और जहां आदेश जारी करने की समय सीमा धारा 54 उप-धारा (7) के साथ पठित उप-धारा (5) के प्रावधानों के संदर्भ में अप्रैल, 2021 के पंद्रहवें दिन से मई, 2021 के तीसवें दिन तक की अवधि के दौरान आती है, ऐसे मामलों में उक्त आदेश जारी करने की समय सीमा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से नोटिस का जवाब प्राप्ति के पंद्रह दिन बाद या मई, 2021 के इकत्तीसवें दिन, जो भी बाद में हो, तक बढ़ा दिया जाता हैं|

2. यह अधिसूचना अप्रैल, 2021 के 15 वें दिन से प्रवृत हुई मानी जाएगी ।

[फ़ा.सं. सीबीईसी 20/06/08/2020-जीएसटी]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार